न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।
सत्र वाद संख्या–417/2022
(सोनो थाना कांड संख्या–49/2016 से उत्पन्न)

29.02.2024 अभिलेख अभियुक्तगण 1. पिन्टू मण्डल, राजू मण्डल, लालू मण्डल, राजेश मण्डल के आवेदन अन्तर्गत धारा–227 द0प्र0सं0 दिनांक–15.02.2024 तथा उस पर अभियोजन के प्रतिउत्तर दिनांक–16.02.2024 पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। उक्त आवेदन तथा उसके प्रतिउत्तर पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता अजिताभ चौधरी तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक वेनू मण्डल को सुना जा चुका है।

2– आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण अपने आवेदन को प्रचालित कर तर्क प्रस्तुत किया है कि सूचक दीपक कुमार पु0अ0नि0 द्वारा उक्त केश उपरोक्त आवेदकगण के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 341, 323, 337, 307, 504, 506 भा0द0वि0 तथा धारा– 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। अनुसंधानकर्त्ता तथा पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा रिन्टू मुखिया वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्यासी थे तथा आवेदक राजू मण्डल प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय करते हैं। लालू मण्डल श्रमिक है तथा राजेश मण्डल किसान है तथा ये लोग मुखिया चुनाव में रिन्टू मण्डल का समर्थन कर रहे थे। आवेदकगण के भौतिक कब्जे से कोई भी वस्तु जप्त नहीं किया गया, ग्रामीण राजनीति के कारण सूचक द्वारा यह केस दाखिल किया गया है। सह अभियुक्त संजय राय उर्फ संजय कुमार द्वारा इस न्यायालय में धारा 227 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया था तथा उपरोक्त सह अभियुक्त का धारा 227 द0प्र0सं0 का आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक–29.11.2022 को खारिज किया गया है तथा संजय सिंह द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक–29.11.2022 से विक्षुब्ध होकर आपराधिक विविध वाद संख्या–4908/2023 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है तथा आवेदक के

लगातार.....

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।
सत्र वाद संख्या–417/2022
(सोनो थाना कांड संख्या–49/2016 से उत्पन्न)

–लगातार–

29.02.2024

आवेदन का भी अधार उसी तरह का है। अतः आवेदकगण को धारा 227 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत आरोप से मुक्त करते हुए आवेदकगण के आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन करते हैं।

3– विद्वान अपर लोक अभियोजक तर्क प्रस्तुत करते है कि आवेदकगण का आवेदन विधि तथा तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा खारिज होने योग्य है। यह कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा वाद दैनिकी के कण्डिका 2 तथा 13 में आवेदकगण का नाम आया है। वाद दैनिकी के साक्षियों ने भी अपने साक्ष्य में आवेदक अभियुक्तगण के संलिप्तता को स्वीकार किया है।

आवेदकगण द्वारा जो डिस्चार्ज का आवेदन दिया गया है, वह निराधार तथा तथ्य हीन है। आवेदकगण द्वारा संगीन अपराध किया गया है तथा जानलेवा हमला किया गया तथा शस्त्र का भी प्रयोग हुआ है। अतः निवेदन करते है कि आवेदकगण का डिस्चार्ज आवेदन खारिज किया जाय।

4– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 147, 148, 149, 341, 323, 337, 307, 504, 506 भा0द0वि0 तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है तथा प्राथमिकी में अंकित धाराओं के अन्तर्गत ही आरोप पत्र संख्या–271/16 दिनांक–31.12.2016 को न्यायालय में समर्पित किया गया है तथा आवेदकगण पर सह अभियुक्तों के साथ दिनांक–16.02.2017 को धारा 147, 148, 149, 341, 323, 337, 307, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। काण्ड दैनिकी के कण्डिका 13 में मुदालहगण का नाम सूचक अवर निरीक्षक, दीपक कुमार ने दर्ज किया है। कण्डिका 14 में सैप जवान संख्या 1685 पाल बहादुर साक्षी है, जो घटनास्थल पर थे। इसके साथ घटनास्थल पर सैप जवान संख्या 3067

लगातार...

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।
सत्र वाद संख्या–417/2022
(सोनो थाना कांड संख्या–49/2016 से उत्पन्न)

–लगातार–

29.02.2024

वीरेन्द्र तिवारी भी थे। जिसका साक्ष्य वाद दैनिकी के कण्डिका 15 में अंकित है, इन साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। कंडिका 22 में सैप सिपाही संख्या 3924 बाबू खान द्वारा घटना का समर्थन किया गया है तथा कण्डिका 23 में सैप सिपाही संख्या 10946 अवध किशोर राज द्वारा भी घटना का समर्थन किया गया है।

इसके अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी कारू मण्डल ने वाद दैनिकी की कण्डिका 26 में घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि सोनो मण्डल एवं भूमिहार के बीच लड़ाई हुयी, मारपीट दोनों पक्षों से हुयी। अग्नेयास्त्र का भी प्रयोग हुआ। कण्डिका 27 में रंजीव वर्मा द्वारा भी घटना का समर्थन किया गया है। वाद दैनिकी की कण्डिका 28 में स्वतन्त्र साक्षी चन्दन कुमार वर्मा ने घ ाटना का समर्थन किया है। स्वतन्त्र साक्षी मनी पाण्डेय ने भी अपने ब्यान में आवेदकगण का नाम लिया है। कण्डिका 51 एवं 54 में भी आवेदकगण का नाम घटना के संलिप्तता के सन्दर्भ में आया है। इस प्रकार वाद दैनिकी की कण्डिका 2, 3, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 51, 57, 58 में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य वाद दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध है। आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन में कथन किया गया है कि अन्य सह अभियुक्तों का आरोप पर मुक्त करने का आवेदन इस न्यायालय से खारिज किया गया है तथा आवेदकगण के आवेदन का आधार, सह अभियुक्तों के आवेदन के आधार के समान है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों से आवेदकगण का धारा 227 द0प्र0सं0 का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। दिनांक **18.03.2024** वास्ते आरोप गठन हेतु सभी अभियुक्तगण न्यायालय में सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।